राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
सी-1 विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर लखनऊ-226010

<u>सूचना</u>

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 75, उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एंव बांट माप अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-CP-480/2021/84-2-2021-CN/1369528, 15.11.2021 के संदर्भ में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते है:-

(I) माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश है;
(II) उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य है;
(III) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश या किसी राज्य की उच्च् न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य है;
(IV) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी है, जिनके पास कम से कम दस वर्ष का अनुभव है,
(V) बार में कम से कम दस साल के अनुभव के साथ वकील है,
(VI) भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के साथ पैनलबद्ध मध्यस्थ है;
(VII) मध्यस्थता या सुलह में कम से कम पॉच साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति है;
(VIII) कम से कम पंद्रह वर्ष के अनुभव के साथ विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त अधिकारी है;

2. मध्यस्थों के नियम और शर्तें, मध्यस्थों को देय शुल्क सहित, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण(मध्यस्थता) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण(मध्यस्थता) विनियम, 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होंगी।

3. पात्र व्यक्ति अपने आवेदन इस तरह से भेजेगें कि उनके सभी तरह से पूर्ण आवेदन रजिस्ट्रार के कार्यालय, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सी-1 विक्रान्त खण्ड-1 गोमती नगर लखनऊ-226010 तक अधिकतम दिनांक 18-01-2022 अपराहन्. 06:00 बजे तक पंहुचें। इसके बाद किसी भी कारण से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

4. चयन समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए, आवेदनों की जांच और शॉर्टलिस्टिंग और अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए किसी भी मानदंड को अपना सकती है।

5. इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलंग्नक-1 में दिये गये प्रारूप में जमा कर सकते हैं।

आदेश द्वारा प्रकाशित

(प्रदीप कुमार III)
निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
आयोग, लखनऊ

अनुलंग्नक-1

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखनऊ से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ के लिए

मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन

एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो

1.	नाम	
2.	(ए) पिता का नाम (बी) माता का नाम	
3.	वैवाहिक स्थिति: विवाहित या अविवाहित विवाहित है तो जीवनसाथी का नाम व्यवसाय	
4.	जन्म तिथि	
5.	स्थायी पता	
6.	मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ पत्राचार का पता	
7.	वर्तमान व्यवसाय और वार्षिक आय	
8.	शैक्षणिक योग्यता	
9.	मध्यस्थता और शैक्षणिक क्षेत्र/सेवा में अनुभव	
10.	क्या आपने कभी राज्य/ केंद्र सरकार के अधीन सिविल पोस्ट पर कार्य किया है? यदि हॉ तो विवरण दें;	
11.	क्या आपने कभी मध्यस्थता का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि हॉ, तो विवरण दें और अपेक्षित प्रशिक्षण प्रमाणपत्र संलग्न करें	
12.	(ए) स्थायी खाता संख्या(पैन) (बी) आधार संख्या	
13.	क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज किया गया है?	
14.	क्या आवेदक पर किसी अपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है? यदि हॉ, तो उसका ब्यौरा क्या है।	
15.	क्या आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा	

	किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है? यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा	
16.	कोई अन्य जानकारी जो कॉलम नंबर 1 से 15 के अंतर्गत नहीं आती है	

आवेदक का हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:.....

स्थान: .....

टिप्पणियॉ-

(1) आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के समर्थन में सबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।

(2) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में दिनांक 18-01-2022 को शाम 06:00 बजें तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए।

(3) उम्मीदवार को ऊपर दिये गये निर्देशों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।